

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक- एफ.3(ख)/(जे-492/90)/अलेसे-11/ 20779 दिनांक:- 21/11/2015

कार्यालय आदेश

श्री कल्याण सिंह राजपुरोहित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- II मैरिट नं. 492/90 (लिक नं. 3136) कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी, पाली ने अपने कार्य के साथ-साथ कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पाली में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड II के रिक्त पद का कार्य विभागीय आदेश क्रमांक 4362-72 दिनांक 22.05.2014 की अनुपालना में दिनांक 26.05.2014 से दिनांक 09.03.2015 तक दोहरा कार्य संतोषप्रद ढंग से संपादित किया है।

अतः श्री कल्याण सिंह राजपुरोहित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - II को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 व 50 के अनुसार (अधिकतम 6 माह तक) मूल वेतन का 3% की दर से अतिरिक्त कार्यभत्ता स्वीकृत किया जाता है।



(भास्कर शर्मा)

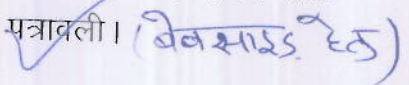
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(जे-492/90)/अलेसे-11/

23779-23786

दिनांक:- 21/11/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी, पाली।
2. जिला आबकारी अधिकारी, पाली।
3. श्री ~~कल्याण सिंह~~ राजपुरोहित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - II, कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी, पाली।
4. वरिष्ठ निजी सहायक/ पदस्थापन सीट
5. निजी/रक्षित मंत्रावली। 

(डॉ. मनीष शुक्ला)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)